भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 757

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

जल संरक्षण हेतु राज्यों को सहायता

757. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं/जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों में वृद्धि, संरक्षण और उनके कुशल प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने भूजल स्तर में सुधार लाने और जल की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न पहल/कदम उठाए हैं। इस संबंध में प्रमुख पहलों में 'जल शक्ति अभियान - कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) अभियान; अटल भूजल योजना (अटल जल); महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत); एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल); मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016; शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 आदि शामिल है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका कार्यान्वयन वार्षिक आधार पर किया जाता है । यह अभियान जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर केंद्रित है। यह अभियान केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रोप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैंपा), वित्त आयोग अनुदान आदि से सम्मिलित वित्तपोषण पर बल देता है ।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, संतृप्त मोड में लागत प्रभावी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने हेतु सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि पर बल देते हुए 6 सितंबर 2024 को गुजरात राज्य के सूरत में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल, का शुभारंभ किया गया । वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और जल संबंधी मुद्दों के स्थानीयकृत समाधान प्रदान करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसे लागत प्रभावी संरचनाओ का निर्माण करने के लिए सामुदायिक धन, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि आदि का उपयोग करते हुए गुजरात में जल संचय कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

भूजल प्रबंधन और विनियमन स्कीम के तहत, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए देश में पुनर्भरण गड्ढों सहित कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन किया जा रहा है जो राज्य सरकारों को उपयुक्त भूजलभूवैज्ञानिक स्थितियों में इन योजनाओ को अपनाने हेतु सक्षम बनाती है । वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में, राज्यों और स्थानीय निकायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा एक व्यापक, बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस रणनीति के भाग के रूप में, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) और तकनीकी अधिकारी (टीओ) जिलों की सुविधा के लिए और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु क्षेत्र का दौरा करते हैं।

भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) स्कीम, जो कि एक केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है, के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी ग्रामीण क्षेत्रों सहित जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पहलों के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चूंकि जीडब्ल्यूएमआर का

कार्यान्वयन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है, इसलिए सभी गतिविधियां सीधे सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संचालित की जाती हैं।

(ग) और (घ): पेयजल राज्य का विषय है । जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, मंजूरी, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्यों को समर्थन प्रदान किया जाता है। अगस्त, 2019 से, भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का पुनर्गठन और विलय करके जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल उपलब्ध कराना है।

जल जीवन मिशन के तहत, राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे कि मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थान को 15 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान, राज्य स्कीमों सीएसआर निधियां आदि के सम्मिलन से समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचना, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, आदि जैसे स्रोत पुनर्भरण की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान लोगों की भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जल की कमी वाले क्षेत्रों के गांवों के लिए, बहुमूल्य स्वच्छ जल के संरक्षण हेतु राज्यों को दोहरी पाइप जलापूर्ति प्रणाली के साथ नई जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, अर्थात एक पाइपलाइन स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु और दूसरी पेय उद्देश्यों के अतिरिक्त बागवानी/शौचालय फ्लशिंग आदि के उपयोग हेतु उपचारित ग्रे अपशिष्ट जल की आपूर्ति के लिए किया जा सके । इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों के घरों को उपयोग किए जा रहे अपने विभिन्न नलो में नल एरेटर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उल्लेखनीय रूप से जल संरक्षण होता है ।

*****